

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के तहत तिमाही रिपोर्ट  
(30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही अर्थात 01.07.2020 से 30.09.2020 तक)

**अनुभाग का नाम: सूचना का अधिकार (आरटीआई)**

**केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम: श्री संतोष कुमार दुबे, अवर सचिव**

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या:-	698
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या, जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेज देखने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अंतर्गत ये निर्णय लिए गए थे, और ऐसे उपबंधों का कितनी बार अवलंब लिया गया था:-	शून्य
(ग)	केंद्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप एवं अपीलों का परिणाम:-	01 (केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई होनी अभी बाकी है।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण-	शून्य
(ङ)	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित प्रभारों की राशि	10947/-रु.
(च)	अधिनियम के भाव का प्रशासन और क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाला विवरण	---
(छ)	सुधार, जिसमें, विकास अधिनियम के विकास, अभिवृद्धि, आधुनिकरण के लिए अपेक्षित सुधार; अधिनियम या निर्णयज विधि के अन्य विधान में संशोधन करने के लिए सुधार या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को क्रियाशील करने से सुसंगत कोई अन्य मामला शामिल है, के लिए उयुक्त सुझाव।	---

ह./-

(संतोष कुमार दुबे)

अवर सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी